इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय

IPC/01/07

1 जुलाई 2019

सूचना

कम उपस्थिति होने के कारण अभिवेदन करने वाली छात्रावास निवासी छात्राएँ

सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय को उन छात्राओं से अभिवेदन प्राप्त हो रहे हैं जिन्हें अपेक्षित उपस्थिति का कम प्रतिशत होने के कारण छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया गया है। उनके इस दावे कि 'उन्हें अभी पता चला है' का महाविद्यालय द्वारा खंडन किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रवेश वर्ष की विवरण-पुस्तिका (Prospectus) में अधिसूचित नियमों के अनुसार छात्रावास में प्रवेश लिया है और महाविद्यालय/छात्रावास के नियमों और विनियमों का पालन करने से संबंधित घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं।

जिन छात्राओं ने निर्धारित नियमों के अनुसार छात्रावास में अपनी वापसी के तीन दिन के भीतर महाविद्यालय में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं, उनके मामले विचाराधीन हैं।

छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त अभिवेदनों का कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा और इस वर्ष छात्राओं को महाविद्यालय में अपनी अध्ययन अवधि के दौरान अपने रहने की स्वयं ही व्यवस्था करनी होगी।

प्राचार्या